

06/02025:-पत्रवाली आज पेशी में ली गई। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दाद पत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। उभयपक्ष अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये गये। उभयपक्ष अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र अदालत पैरवी प्रथम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से क... की जाकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक सचिव
एवं उपखास्यधिकारी
हनुमानगढ़